संख्या-48/2018/2861/22-2-2017-17(730)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 16 जनवरी, 2018**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामनरेश पुत्र श्रीनारायन पण्डित, निवासी जनपद-उन्नाव की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38242/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-02.05.2017) दिनांक-24.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 24.10.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रामनरेश पुत्र श्रीनरायन पण्डित, निवासी ग्राम-मिर्जापुर, थाना-सफीपुर, जनपद-उन्नाव का रहने वाला है। बन्दी ने चन्द्रकली के मकान के छप्पर में लगा दी, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी गयी। इसी रंजिश में दिनांक 21.09.1993 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अद्द्धी व कुल्हाडी से वारकर चन्द्रकली नामक महिला की हत्या की। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-151/1997 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), उन्नाव के आदेश दिनांक 18.02.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.02.2017 तक 16 वर्ष 07 माह 04 दिन की अपरिहार एवं 20 वर्ष 03 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु-57 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि बन्दी ने चन्द्रकली के मकान के छप्पर में आग लगाये जाने की रिपोर्ट लिखाये जाने की रंजिश में दिनांक 21.09.1993 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अद्द्धी व कुल्हाडी से वारकर चन्द्रकली नामक महिला की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, समिति/जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बन्दी रामनरेश पुत्र श्रीनरायन पण्डित को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामनरेश (बन्दी संख्या-20182) पुत्र श्रीनरायन पण्डित, निवासी जनपद-उन्नाव के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-48/2017/2861(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-उन्नाव।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ.।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कागारार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-48/2018/2861@22-2-2017-17(730)/2017

दिनांक 16 जनवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध बन्दी रामनरेश (बन्दी संख्या-20182) पुत्र श्रीनारायन पण्डित, निवासी ग्राम-मिर्जापुर, थाना-सफीपुर, जनपद-उन्नाव का रहने वाला है। बन्दी ने चन्द्रकली के मकान के छप्पर में लगा दी, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी गयी। इसी रंजिश में दिनांक 21.09.1993 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अद्द्धी व कुल्हाडी से वारकर चन्द्रकली नामक महिला की हत्या की। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-151/1997 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), उन्नाव के आदेश दिनांक 18.02.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.02.2017 तक 16 वर्ष 07 माह 04 दिन की अपरिहार एवं 20 वर्ष 03 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु-57 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि बन्दी ने चन्द्रकली के मकान के छप्पर में आग लगाये जाने की रिपोर्ट लिखाये जाने की रंजिश में दिनांक 21.09.1993 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अद्द्धी व कुल्हाडी से वारकर चन्द्रकली नामक महिला की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, समिति/जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामनरेश पुत्र श्रीनरायन पण्डित को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in